प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (विद्युत उपकेन्द्र)–किशनगंज–167 / 13–.............. / रा0, पटना–15, दिनांक–.... / .... / 2013

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन प्रशाखा,

(अधिसूचना)

पत्रांक– 2496 / आर0, पटना, दिनांक 15-10-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन अंचल अन्तर्गत मौजा –कन्हैयाबाड़ी ,थाना–बहादुरगंज, थाना नं0–208 के परगना–श्रीपुर, अंचल –कोचाधामन, जिला – किशनगंज में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात विधुत उपकेन्द्र एवं ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा –कन्हैयाबाड़ी, थाना नं0 –208 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 0.50 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
14	1034 अंश	0.44
	1035 अंश	0.06
	कुल ::	**0.50**

चौहद्दी :– उत्तर :– पक्की सड़क
दक्षिण :– खेसरा सं0–1037 अंश
पूरब :– खेसरा संख्या–1035 अंश,
पश्चिम :– खेसरा संख्या–1033

यह अधिसूचना बिहार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (समय–समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विर्निदिष्ट अपने कार्यों के समूचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के अवर सचिव,

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक– 2496 /रा0/ भू–अर्जन, पटना, दिनांक– 15-10-13

प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों,जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉं इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्त्ता, किशनगंज / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।